राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 343/2022

विवके शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव (ग्रुप–2), शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

–प्रत्यर्थी

प्रस्तुतीकरण की दिनांक :– 19.09.2022
आदेश दिनांक :– 28.09.2022

उपस्थित

अपीलार्थी की ओर से : – वर्षा बिस्सा

समक्ष :– एम.एस. काला, सदस्य
अनंत भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील व उसके द्वारा की गई बहस के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डांगरा जिला जालौर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भंवरानी आहोर जिला जालौर में किया गया है, जिसे चुनौती देते हुए यह अपील प्रस्तुत की।

3. अपीलार्थी का अभिकथन है कि उसका स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से अन्यत्र बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता

के जारी किया गया। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि वर्तमान में अपीलार्थी आधार नंबर संग्रहण अभियान में भी कार्यरत है। जिसके तहत चुनाव के लिए आधार संख्या वोटर कार्ड से लिंक किये जाने का कार्य किया जा रहा है। बूथ लेवल अधिकारी को स्थानांतरित नहीं करने के लिए निर्वाचन विभाग ने प्रतिबंध लगाया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है। निर्वाचन विभाग से अनुमति के बिना स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता। जबकि वर्तमान प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निर्वाचन विभाग से कोई सहमति नहीं ली गई है। अतः आलोच्य आदेश अपास्त योग्य है।

4. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया।

5. इस सम्बंध में हमने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 सी सी का अवलोकन किया। धारा 13 सी.सी. में निम्नानुसार प्रावधान है किः—

> "13CC. Chief Electoral Officers, District Election Officers, etc, deemed to be on deputation to Election Commission-- The officers referred to in this Part and any other officer or staff employed in connection with the preparation, revision and correction of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections shall be deemed to be on deputation to the Election Commission for the period during which they are so employed and such officers and staff shall, during that period, be subject to the control, superintendence and discipline of the Election Commission. "

6. उपर्युक्त प्रावधान के पठन से यह स्पष्ट है कि मतदाता सूचियों की तैयारी, पुनरीक्षण व संशोधन तथा निर्वाचन कार्य सम्पादन में लगे हुए कार्मिक, निर्वाचन आयोग की प्रतिनियुक्ति पर समझे

जायेंगे और ऐसी अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन के अन्तर्गत होंगे। अपीलार्थी की ओर से आदेश अनुलग्नक–3 प्रस्तुत किया है, जिसमें अपीलार्थी को विधानसभा क्षेत्र सांचोर में वोटर कार्ड से आधार संख्या लिंक किये जाने का कार्य दिया जाना प्रकट होता है। उक्त आदेश के पठन से कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलार्थी को निवार्चन विभाग में अपने पास काम के लिए रखा हो। अपीलार्थी के स्थानांतरण में कोई पाबंधी हो, यह प्रकट नहीं हुआ है। यह तथ्य है कि आगामी चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अभी अधिसूचना जारी नहीं की गई है और न ही कार्यक्रम की घोषणा की गई है। ऐसी स्थिति में अधिकरण के विनम्र अभिमत में अपीलार्थी के स्थानान्तरण व कार्यमुक्ति के लिए निर्वाचन विभाग की पूर्वानुमति का संरक्षण हस्तगत प्रकरण में लागू होना नहीं माना जा सकता।

7. उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) में किसी प्रावधानों का उल्लघंन व नियमों की विरूद्धता स्पष्ट नहीं होती है। अतः अधिकरण के विनम्र मत में आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) में अधिकरण स्तर से किसी तरह के हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः अपील अपीलार्थी बलहीन व सारहीन होने से ग्राहयता के प्रक्रम पर ही मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

9. आदेश आज दिनांक 28.09.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर, मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्‌घोषित किया गया।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनंत भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)